

फ्रार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो भीमता नीरजा गोरभीमता नीरजा गोर

वर्तमान धारित पद

प्राचार्य (वैरु रङ्ग)

2. वर्तमान धारित पद रक्षण शिखा गोर

रक्षण शिखा गोर

3. वर्तमान वेतन 87500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2020

ल. ५१ (प्रति महीन)

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खेद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा भव भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर नीरजा गोर 0310312020नाम भीमता नीरजा गोरपद प्राचार्य (वैरु रङ्ग)

ल. ५१ (प्रति म.)

फ्राम

७१८८८

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, संख्या २०

श्रीमती दीपमाला शर्मा, २ चर्मान धारित पुट

अगली वेतनवृद्धि की गतीय । ७/२००

अध्यापक

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

३. वर्तमान वेतन

उस जिले, उप नियम, पर्याय
तथा ग्राम का नाम जिसमें
संपत्ति स्थित है।

तपति का नाम तथा स्त्री

ग्रह तथा अन्य भवन

भूमि

वर्तमान मूल्य

यदि स्वयं के नाम पर न हो तो
बहलाइये कि वह किसके नाम
पर धारित है और उसका
शासकीय कर्मचारी से
क्या संबंध हैउसे विवर प्रकार अनित किया गया
खेत, घट्ट, बड़पक, विराषत,
भैंड आदि किसी प्रकार से
उपर अपने को गारीब और जिससे
अनित को गई हो उसका नाम
तथा व्यापसंपत्ति से
वार्धक आम

अभियुक्ति

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

जहाँ साफ़ न हो काट दीजिए।

ऐसे साफ़ में जहाँ मूल्य का सही नियम करना सम्भव न हो, वहाँ वर्तमान सिविल के सदर्भ में सामग्री मूल्य बताया जाए।

इनी अल्पकालीन परेट भी सम्पत्ति है।

टिप्पणी: माध्यमिक शासकीय सेवक (आचारा) विषय, 1959 के नियम 18(3) के भागीन प्रयोग द्वारा, दिनांक श्रवण तथा दशम ब्रेडों देवा के श्रवण सदर्भ से यह वर्णित है कि दर सेवा में वर्तमान नियुक्ति के समय और उसके बाद श्रवण ब्रह्म नहीं जो अन्याय के रखचात् यह योग्य नहीं भर कर प्रशुत करें जो उसमें वह उच्च व्यापक को तथा उच्च दरकों पर अन्य अपने नाम पर यह उसके परिवार के किसी गोदावर के नाम पर अन्य जीवित के नाम पर चढ़े या अपेक्षा उसके द्वारा धीरे सम्पत्ति अवान सम्पत्ति के बोरे है।

हस्ताक्षर

Name

ग्राम

Deepmala Sharma

क्रम

Achhyapak..(Middle Teacher)

प्रकाश

आदश उ० मा० विद्यालय

लिहिज, जाइन्स, रीवा ()

W. 229 - २९४८) अ. ७८० -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समव अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकार वर्तमान का (पूरा) नाम तथा उस सेवा वा नाम, जिसमें वह हो हमन्तश्चाभी

3. वर्तमान वेतन

2. वर्तमान धारित पद

गोला लिखी ८३०/११०

प्रथम नियुक्ति विशेषज्ञ, वृ

उस जिले, उप रु ज्ञान, तालुका
तथा ग्राम का नं ५३, जिसमें
संपत्ति स्थित हो

संपत्ति का नाम तथा व्यौरा

ग्रह तथा अन्य भवन

भूमि

*वर्तमान मूल्य

यदि स्वयं के नाम पर न हो तो
बल्लाड्ये कि वह किसके नाम
पर धारित है और उसका
शासकीय कर्मचारी से
क्या संबंध है

उसे किस प्रकार अर्जित किया गया
**खोद, पट्टा, बंधक, विरासत,
भेट वा अन्य किसी प्रकार से
तथा अर्जन की तारीख और जिससे
अर्जित की गई हो उसका नाम
तथा व्यौरा

संपत्ति से
वार्षिक आय

अभियुक्ति

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Ni)

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे समान में जहाँ मूल्य का सही-सही निश्चरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्कालीन पट्टे भी सम्पत्ति हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरोपित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के यथावृत्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षर को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नव पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के लिए हैं।

हस्ताक्षर

16/11/2011

नाम

पद

डॉ. हमन्त शर्मा
निदेशक विज्ञान केन्द्र
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्य प्रदेश, भोपाल

W-22-9-2 पार्ट अं ७०० -

प्रार्थ

*प्रथम नियुक्ति के समव अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/रमेचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा वा नाम, जिसमें वह हो डॉ. बीणा श्रीवास्तव, स्कूल शिक्षा निभाया।

जनवरी
30/1/20

3. वर्तमान वेतन 84900 + DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2020

म.प्र.

प्रार्थ, हाई-स्कूल

उस जिले, उप सं भाग, तालुका
तथा प्राप्त का न १३, जिसमें
संपत्ति स्थित हो

संपत्ति का नाम तथा व्यौरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीपाल/झुजूर, कोलार रोड	D-HIG 03 Beemakunj Parisar (flat) Kolar road, Bhopal	-	30,000/- (३ लाख रुपये)	संयुक्त रूप से पनि श्रीमुदुलखरे खरे द्वे डॉर्ट दिया गया है।	सम्पत्ति इस समूह भूगतान पनि श्रीमुदुल खरे द्वे डॉर्ट दिया गया है।	NIL	-

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही नियरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लाभग्र मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम ब्रेणी, द्वितीय तथा तृतीय ब्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्पेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षरता को तथा उसके हारा अर्थवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नव पत्र या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके हारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बरै हैं।

हस्ताक्षर

डॉ. बीणा श्रीवास्तव

पद प्रार्थ, हाई-स्कूल

(वर्तमान में सह-प्राविष्ट नामेभुक्ति पर)

W. 229 - २ (पार्ट) त्रो ७८ -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

प्रीमियम
रुपये

G.A.Y. 102202

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रभाला निगम

2. वर्तमान धारित पद स्टायल ऑफियल (प्रतियुक्ति)

3. वर्तमान वेतन... ८५,६००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख... जुलाई ०२।

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बालाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
१०९२ न्युविलार प्रैटोर नगर स्वपुरी उल्ला सेड प्रपला नी भेल ओपाला	मठान ३०५८ पर निगमित				पति - पत्नि दोनों के नाम	१०२५० रुपये लैक लैलौन लिया		

* जहाँ रागु न हो काट दीजिए।

** ऐसे म प्लै में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सगभा मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें भल्कालीन पट्टे भी सम्पत्ति हैं।

टिप्पणी : मा यादेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रलेक सदस्य से यह अधिकत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महाने की अवधि ते पश्चात् यह पोषणः पत भर कर प्राप्त करें और उस में वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के द्वारे हैं।

हस्ताक्षर..... २५/८/२०

नाम प्रभाला निगम

पद स्टायल ऑफियल प्रतियुक्ति

W. 229 -- २ प्राप्ति रु. ७०० -

कार्य

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कीर्ति नन्दनी सरकारेना 2. वर्तमान धारित पद सहायक प्राध्यापक मा. श्री. मौ. म. प्र.
3. वर्तमान वेतन 80,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जीति ८७१
TK/८०

अधिकारी

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्ति का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यह स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. ग्राम- रतनपुर, ओपाल	—	506.04	वर्ग मी.	०६ लाख	—	खरीद	NIL	—
2. ग्राम- सनपुरा, रायसेन	—	०.२५३	हैक्टेयर	१९ लाख	—	खरीद	NIL	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधि के सन्दर्भ में लाग्या मूल्य बतलाया जाए।

*** इस में अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आदरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने काम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर

नाम कीर्ति नन्दनी सरकारेना
पद सहायक प्राध्यापक

W. 229 - २ पार्ट 1 रु ७०० -

2019-20

कार्य

प्रथम नियुक्ति के समव अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०
१८५८

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : डा. श्रीमती मालिनी बहौदी 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन १०८३८८० अगली वेतनवृद्धि की तारीख

लाई प्राप्ति (प्रति नमूल)
मा. प्र२) मेडल से प्राप्ति

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्ति का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि इसके नाम पर न हो तो बहस्ताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका आसकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल	गृह - १३	२५६	गृह-५०माल ट्वार्ड	जहाँ लाला लाला	कुम किमा गामा	Nil	
	पारिका गृह	७८४	७८४	७८४			
	निमूल	७८८	७८८	७८८			
	लालाश्री	८८५	८८५	८८५			
	गामुगालीया						
	मोपाल						

जहाँ लाला न हो काट दीजिए।

** ऐसे यामते में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में स्थानग्र मूल्य बतलाया जाए।

*** इस में अत्यक्तलीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा दूरीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्हतापूर्वक है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के वर्षाचान् यह घोषणा चर्चा भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्र की तथा उसके द्वारा अर्जित अम्बवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने काम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर फैटे या बंधकं पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

दा. श्रीमती मालिनी बहौदी
30.01.2020

नाम दा. श्रीमती मालिनी बहौदी
पद ना. प्राप्ति प्राप्ति का नीरा का

म. ज. मोपाल

W. 229 - २५५८१ त्र ७८८ -

फार्म

प्रथम नियुक्ति के सभ्य अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती संघामित्रा अग्रिम । 2. वर्तमान धारित पद सहायक प्राध्यापक
3. वर्तमान वेतन. B.A., C.T., D.M.I. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 July 2020.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
मुंदरिकी कॉलोनी कोलार रोड अपाल	मकान	N.I.I	लगभग 50,000/-	पति के नाम पर	लोन से	N.I.I		

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तथ्यमुल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन परेट भी सम्भवित है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्रदेय या अन्य के द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम संघामित्रा अग्रिम
पद सहायक प्राध्यापक
विद्योचित कक्ष

ग्रामीण

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती श्रीमा रोड़ी** 2. वर्तमान धारित पद **सहाय्य अधिकारी**
 3. वर्तमान वेतन **B.A.M.C. + D.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **J.U.Y. १०.१०**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	* वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
166, C, सर्वधन लोडी लोडी रोड नोपाल	मठान	Nil	ल०५।५० ५० भारव	संयुक्त नाम पर।	लोन	Nil		

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बदलाया जाए।
- *** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीव्र श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परामात् पह घोषणा भव भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अदावा उसे विरासत में शिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंपर्क पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर
 नाम **श्रीमती रोड़ी**
 पद **सहाय्य अधिकारी**
 विधोनित दस्ता

फार्म

फॉर्म नं ४।
४

०४.०२.२०२० की दिनति में प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **डॉ. मुन्नालाल साहू** २. वर्तमान धारित पद **संहायक प्राध्यायक**
३. वर्तमान वेतन **१००८९५/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **०१.०७.२०२०**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम- अड़स, बैतूल	—	१ हे.	लगभग ३ लाख लगभग ५ लाख	स्वेच्छा	G.P.F. एवं स्वयं की बचत १५.११.०२ मध्यबाहु	10800.00	
— बन्दुडोखर बाड बैतूल	—	1600 ब.फु	लगभग ५ लाख	पुठपादेवी साहू पत्नी	G.P.F. एवं स्वयं की बचत २६.१०.०६ अडावंत दान	—	
रायसेन शेड, हुजूर झोपाल	—	1500 ब.फु	लगभग १३ लाख	पुठपादेवी साहू पटिल एवं स्वेच्छा समुक्त	G.B.I. बैंक लोन २३.५.११ मोहन सिंह पौकरे	—	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करता संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पदटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने के अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रदान करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधार दरसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर  ५.२.२०२०नाम **डॉ. मुन्नालाल साहू**पद **संहायक प्राध्यायक**

मा. नि. भ. अ. ५.

भोपाल

W. 229 - २५५८) अ ७८ -

फ्राम

*पथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, संख्या २०

१. अधिकारीकर्त्तव्य का (परा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - मनोज चूमर सेना

२. वर्तमान धारित पृष्ठ

३. वर्तमान चेतन

४. ७०० + १५ लागती वेतनमुद्दि की गारी

जुलाई २०२०

फ्राम नं ६१
८/

उस जिले, उप सभा, तालuk तथा गाम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	तपति का नाम तथा स्त्री	गदि स्वयं के नाम पर न हो तो बहलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकायं कर्मजारी से क्षा संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति		
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१) रीवा / रीवा अंद्रेश्वर नगर विधी २६. (शारदा-पुरम्) रीवा	५५ x ५०/। भवन फैक्ट्र २६.	१००००/- ५०००००/-	कुन्त्र	रक्करीहाफ्कर	२१/-	-	-
२) रीवा / छुमता आम - गाड़ा	५०x५०/ भवत	१६०० ५००००/-	१०००००/-	८५/-	८५/-	-	-

जहाँ सम्पत्ति की जांच हो रही है।

एसो प्राप्त होने वाली मूल्य का साली-साली नियुक्ति करना सम्भव नहीं, तरह वर्तमान विर्यत के समर्थन से स्थानान्वयन मूल्य बतलाया जाए।

इसी अल्पकालान्न पर्ट भी सम्भवता है।
टिप्पणी : पथम नियुक्ति शासकायं सेवक (आवाहन) विधम, 1959 के नियम १८(३) के अन्तर्गत प्रथम वेतन, द्वितीय अध्येता तथा दूसरी अध्येता द्वयों द्वयों के प्रत्येक सदस्य से यह वर्तमान होने वाले समाज में प्राप्ती नियुक्ति के समय और उसके बाद इसीका बाहर स्थाने वाली अन्यथा स्वरचात यह घोषणा भर भर का प्रस्तुत की जाएगी। अन्यथा उसके द्वारा अप्रीत अन्य उपर्याकारी विधान में नियम द्वारा घोषणा या अन्य विधान द्वारा घोषणा की जाएगी।

००.२२९-२८५८८ और २८०

प्रदर्श अ० मा० विद्यालय
वैद्यो लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

हस्ताक्षर

नाम : मनोज चूमर सेना

पद : वार्षिक नियुक्ति

प्रदर्श अ० मा० विद्यालय

(16)

७८२८८८८८
८ CAD Forms (W) 1

फार्म

प्रथम नियुक्ति के सभ्य अधिल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती राजेश निवारी**३. बर्तमान चेतना $(1200+3200)$

२. बर्तमान धारित पद

अधिकारी

आगती बेतनवृद्धि की गतीय

उपजिल्ले, उप संभाग, ज़िल्ला तथा गाम का नाम, जिसमें भवानी स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्थान	पूर्ण बर्तमान धूम्प	मादे स्वयं के नाम परन हो तो बहसाइये कि उस किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से तथा संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिवृद्धि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रीवा—	—	भूमि	8,00000	—	रवीर	Nil	—

जहाँ साग न हो स्टोर दीजिए।

ऐसी सम्पत्ति पर जहाँ धूम्प का उठाई—सही निर्धारण करना सभ्य न हो, वहाँ बर्तमान धारित के सदर्भ में साधारण धूम्प बकलावा जाए।

इसीं अन्तकालीन पट्टे भी सम्पत्ति हैं।

टिप्पणी: सम्प्रदेश शासकीय सेवक (भाषण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम देश, द्वितीय देश तथा तीव्र अधिक सेवक के प्रत्येक छद्म से यह

अर्जित है कि उड़ सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद अल्ला बाहर भारत की अधिक देश यह धूम्प—पूर्ण धूम्प की भूमि

उसमें वह उड़ स्वामिन को देखा उमर हो अर्जित अमर्या उस विवासन में मिलते हो तभी वह यह पूर्ण धूम्प के लिये बाहर भारत से वार्षिक अन्य वार्षिक के नाम ज रहते हो जिनके द्वारा धारित समत अचल रक्षित के भौतरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Ranjan

रवीर निवारी

वार्षिक विवारी

प्राचीन
अदर्श उ० मा० विद्यालय
लिंगिल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

०२२९-२५०५१८०८०-

फिल्म ई० ४
८

फ्रार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवधि सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारीकर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... विभाग इंडियन ... २. वर्तमान धारित पद ... मालविका इंडियन ...
 ३. वर्तमान वेतन ... १२५६०. + ३२० अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... ५८/२०२.०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरी		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमानमें कि मह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खायद, पट्टा, बधक, विरात, भेट शा अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आग्रा बोर्ट - ३८०/८ जिला - तिला (८.७.)	—	६००५	२५००० लगानी	पुरा	महा जी छाता विरात स	१५०००८ लगानी	
आग्रा बोर्ट - १३०/८ जिला - नीरी (८.७.)	—	६००५	५०००० लगानी	पुरा जी ५०५	विरात ५	७०००८ लगानी	
आग्रा बोर्ट - ५०८/८ जिला - रोहा (८.७.)	—	५००५	६००००० लगानी	महा जी ५०५	विरात ५	६५६०८ लगानी	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे पापते में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विधिति के सन्दर्भ में तापाभ्यास मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्कोहोल पर्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवाज) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम प्रेणो, हिंदीय श्रेणो तथा तुर्कीय श्रेणो सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्जित है कि वह सेवा में पहली विधिति के समय और उसके बाद अल्कोहोल महाने की अवधि दें परचात् यह खोयण्य-पत्र भर कर प्रदूषित करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उत्तराधिकार में निलंबन की जाए ताकि उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य जनिति के नाम पर रहे या योपर्के पर उसके द्वारा प्राप्त अवल सम्पत्ति के लिये है।

रहस्याधार ... अंगूष्ठी

नम ... विभाग इंडियन

पद ... मालविका इंडियन

८०२२९ - २५५५१) अं ७८ -

प्राचार्य
आदर्श उ० नां० विद्यालय
लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवलोकन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्रीमती अनीता तिवारी २. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ अध्यापक ३. वर्तमान वेतन १५१९० +३६०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख (मिश्रा)

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्ति का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा और ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	पद स्वरूप के नाम पर न हो तो अवलोकने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यालय से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खेद, पट्टा, बंधक, विरासत, भैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा और	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
१. जिला रीवा संभाग - रीवा तेंदु इलाहाबाद सुन्दरनगर रीवा (मध्य)	गृह वर्ग किमी (२५००) कि.मी	५४०० वर्ग किमी	१५,०००००	२९ अर्जित (पति)	२९ अर्जित सन् २०००	NIL	-
२. जिला भोपाल करोड़ के पास लालबाड़ी	पलट (८०० सq.)	८०० सq.feet	१५,००,०००	२९ अर्जित (पति)	२९ अर्जित सन् - २०१५	NIL	-
३. याम ढंगर की तोड़पुर जिला रीवा मध्य	रवेत रवेत	२ एकड़ (८०० सq.)	२ एकड़ ८,००,०००	पैठन (भंडुर)	विरासत	NIL	-
४. झेवेत झारी २ ऐसे पापते में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के भावनाओं में हालाग्र मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पर्टे भी सम्मिलित हैं।	टिप्पणी: मायाप्रदेश शासकीय सेवक (आवाज) नियम, 1959 के नियम १०(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्जित है कि वह सेवा में पहसु नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् वह पौष्टि-पति भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तया उसके द्वारा अर्जित अप्यथा उत्ते विरासत में निलंबे या उसके जल्दी नाम पर ये उनके परिवार के किसी रादस्य के नाम पर का किसी अन्य लाभित के नाम पर रहें या अपेक्षा पर उसके द्वारा प्राप्ति उससे अवत्त सामग्री के भौंरे हैं।	हस्ताक्षर.....	नाम अनीता तिवारी (मिश्रा)	मुद्रा ३८८० मार्च श्री रीवा (मध्य)			

W. 229 - २ पाँच झं ७ छं -

प्राचीर्य
आदर्श उमा विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (मध्य)

Ramachandra

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अक्षय सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

उच्च भा. फैसल कु

१. अधिकारीकर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **रामेश्वर कुमार वर्मा**२. वर्तमान धारित पद **वर्दिल डेव्हेलपमेंट**३. वर्तमान वेतन **13460 + 3600**

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा व्यापे		*	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो उत्तराइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिवृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रीवा (नेहरनगर)	—	३०x३०	२। लाख	स्वयं के नाम	चौलड	३०००००=	विरासत
रीवा (इन्दिरनगर)	५२४	१५x६५	३० लाख	पिता जी के नाम	विरासत	—	—
रीवा (भक्तगंग)	—	२२ कर	५ लाख	स्वयं के नाम	अर्जित (व्यक्तिगत लोन)	—	—
खीरी (जमोदी नाँव)	—	३०x६०	१० लाख	स्वयं के नाम	अर्जित (व्यक्तिगत लोन)	—	—

* जहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मापदंड में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रियति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अत्यालौन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद इत्येक बारह महीने की अवधि तक परचान् यह पोषण-पश्च भर कर प्रतुत करें और

उसमें वह उनके स्वामित्व के तथा उसके द्वारा अर्जित अम्बा उत्ते विरासत में निलंबन की जाए ताकि पर ये उसके परिवार के किसी गदरस्य के नाम

पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रखे या बेपक्ष या उसके द्वारा धारित समस्त अवस्तु सम्पत्ति के लिये हैं।

रस्ताधार

सम. रामेश्वर कुमार वर्मा

पद. उच्चय नाँव गंगनगर रिया कु

W. 229 - २ पार्ट १ ऑ. १८८ -

आदर्दा उठ मार विद्यालय
हिंदू लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

11

क्राम

*प्रथम नियुक्ति के समय अवृत्त सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती वन्दना सिंह 2. वर्तमान धारित पद उच्च अधीक्षी कोकुल
3. वर्तमान वेतन. ।३०९०. + ३६८७. अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१.०७.२०२०.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्ति का नाम तथा व्यौरे	तंपति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से व्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिवृक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1) जिला - रीवा	मकान ३०x ६०x १५ feet संजय नगर	—	—	Rs ४५,००,०००	पति: श्री अनिल कुमार सिंह	विवाह में	— Nil	
(2) जिला - रीवा	—	५०x ७० १५x १५ feet बाल नगरपालिका नगर	—	Rs २०,००,०००	स्वयं के नाम पर	२१६२८१२५ विक्रय की जाए	Nil	
(3) जिला - रीवा तहसील - मठावाँ छतोक - नड्डी	—	२५ एकड़ श्रीमती	—	Rs ४५,००,०००	श्रीमती सिंह द्वारा Rs ८८ के नाम पर	विवाह में	Rs २,००,०००	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

“ऐसे घायले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सुभय न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य वर्तलाया जाए।

... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सम्प्रदीय शासकीय सेवक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम १८(३) के अधीन प्रधम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्जेश्वर है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परामर्श यह प्रोविन्स-पड़ भर कर प्राप्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके प्राप्त अधिकारों उत्तराधिकारों में मिलें या उसके ज्ञान तथा प्रयोग ये उसके परिवार के किसी गदरस के नाम पर या किसी अन्य जाति के नाम पर रहें या योगके पर उसके प्राप्त अवृत्त समस्त अवृत्त सम्पत्ति के रहें।

रहस्यार्थी Sh. Vandana Singh

नाम वन्दना सिंह

पद उच्च अधीक्षी विवाह

W. 229 - २०५८/१ दो ७८ -

प्राप्तवार्ष
आदर्श ३० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Mrs. Seema Shukla

ग्रन्थालय
वर्ष २०२०२. वर्तमान धारित पद
३. वर्तमान वेतन ₹ ५७,४००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 2020

Upper division teacher

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		* वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोडला	बृह	कृषि योग्य भूमि	—	Mrs. Seema Shukla Mother-in- law	विरासत	10,000/-	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के ग्रन्थकार सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने वाली अवधि के पश्चात् यह घोषणा या यह कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अर्थवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर 24/01/2020

नाम श्रीमती सीमा शुक्ला

पद उच्च श्रेणी शिक्षक

मोडल हायर सेकंडरी स्कूल, यशिं
ताल्या टाप नगर भोपाल (मध्य)

W. 229 - २०१५ (अ) रु ७०० -

४८८६

फ्रार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विनायक शुभ मंड़े २. वर्तमान धारित पद कानूनी विवेदिका
३. वर्तमान वेतन ₹ 42,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१.०७.२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा और		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>NIL</u>	<u>NIL</u>	<u>NIL</u>	<u>NIL</u>	<u>NIL</u>	<u>NIL</u>	<u>NIL</u>	<u>NIL</u>

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आधिकारी) नियम, १९५७ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय भीर उसके बाहर प्रदेश वाराह महाने की अवधि के परिवार यह भोजन बढ़ा भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विवरित में मिली दा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के और हैं।

इस्ताहार
का विनायक शुभ मंड़े
द २१.७.२०२० (विवेदिका)

W. 229 - २१५८) रु. ८०/-

प्रार्थना

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, छर्ण २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्रीमती प्रनम अवाची 2. वर्तमान धारित पद प्राचार्य (H.S.)

3. वर्तमान वेतन ... ४२,६००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से वया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
ग्राम- पुनमटी तद् दुष्ट गोपाल	ग्राम- पुनमटी गोपाल	मवाल	पचास लाख (लाख)	विवेद पति ओ.पी. अवाची द्वा नाम (लघुलक्षण)	पलाट भेरा साम द्वारा दिलाई (Gift Deed) बैंक लिंग लोक प्रिया	NIL		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यक्लीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि तक पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षित को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विवासत में भिली या उसके अपने नाम या या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य वाक्ति के नाम पर पट्टे या वंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर *.....*

नाम श्रीमती पुनम अवाची

पद प्राचार्य (H.S.)

(प्रतिनियुक्त)

प्रार्थी

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आशा बेस, स्कूल विधाय

3. वर्तमान वेतन . ७७७०० .. अगली वेतनवृद्धि की तारीख .. ०१.०५.२०२०

गोपनीय
10K120

2. वर्तमान धारित पद .. प्राचार्य

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरै		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो गतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बघक, विरापत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
झंडौर (जिला) झंडौर (तहसील) तिलौर रुद्दि (ज़मी)	-	प.ए.न. 28	10,21,000/-	प्रामिले भूखण्ड क्र० 15 योनाखल 4354 वर्जिट	रवरीद विक्रेता श्रमांक 1. सूरज भागवत 2. किरण देशमुख	निरंक	

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य लेताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : पर्यावरण शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, हितेय श्रेणी तथा तुतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भर कर प्रतुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरापत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बघक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

आशा बेस

पद

(प्राचार्य) ८५५००-

फॉर्म नं. 8/1120
CAD Forms (W) 1

प्रार्थना

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०। ९ - २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, २०१२, १२ वर्तमान धारित पद १२ अगस्त २०१२ से २०१३ तक प्रधानमंत्री

3. वर्तमान वेतन ... ४७,५००/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख .. जुलाई २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि रखयं के नाम पर न हो तो लकड़ाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेन या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
भोपाल	२४६	-	१९.५७	२५५५२५ परियोजना के नाम पर	२५५५२५ और वार्षिक दुष्ट I.P.S. ५.९.०२	१ लाख ९८ हजार	२० लिङ्गांडा अनुमति ५/२५०.०२/व्या/५१ ५.७.०२	
भोपाल	-	३१०२०५ लाई	१.८१५	२०८८	२०८८	-	४६ लिंगांडा अनियुक्ति संवर्तन	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे सामग्रे में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधि के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यादेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहर महीने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर : १० अगस्त २०१२

नाम : मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री

पद : द१८ जुलाई २०१२ प्रधानमंत्री

W. 229 - २०१५ (ज्ञा. नं. ८० -

कार्य

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : नीता कांडा (शासकीय)

2. वर्तमान धारित पद : विवाहित पर्याप्ति

3. वर्तमान वेतन : ७७, १०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख : ०१-०८-२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम तथा व्यौरे	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
किंवा नगर भोपाल	गृह ५१७	१५,००९९ FT: १० Lakh, ₹१५ के १५%			५८ ५८	Nu.	-	
समसगाट, भोपाल	प्लॉट	२२,००	२ Lakh	स्वयं के १५%	५८	Nu.	-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सामान्य मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्प्लित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रथेक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रथेक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामिन की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली था उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम Neelu Kanheri

पद Lecturer

W-229-2949) और ७००-

क्रांति

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती इन्हालक्ष्मी**
2. वर्तमान धारित पद **उच्च अधीनीशीक्षक**
3. वर्तमान वेतन ... **65,520/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई २०२०**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
मोपाल	फ्लैट (इ-८) म-प्र-इ८ नमणि मेडल			1,75,172	श्रीमती ताराबाई एवं इन्हालक्ष्मी (सासुमां एवं स्वयं के संयुक्त नाम)	सासुमां के द्वारा (क्रय) विरासत.	-	पुत्र निवास करेट
ग्राम मिसराड मोपाल		फ्लैट 1108 वर्ग फुट		5,16,000	स्वेच्छा प्रति के संयुक्त नाम	पतिनी G.P.F एवं PART FINAL एवं अन्पव्यत से दिनांक 29.3.2010	-	मासिनं के द्वारा पत्र क्र. प्रशा/स्था 749/2009 ५.३.२०१९ सुपीटका प्रमाण दृश्य उमीदेकी

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगातार मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पदटे भी सम्भिलते हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पर भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर **श्रीमती इन्हालक्ष्मी**

नाम **श्रीमती इन्हालक्ष्मी**
पद **उच्च अधीनीशीक्षक** (पतिनी उमीदेकी)

कार्य

*प्रथम नियुक्ति के समव अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

गोपनीय
८/१२/२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - **बुखरल चौधरी**
2. वर्तमान धारित पद **यु.टी. २७**
3. वर्तमान वेतन **43-60/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई २०१९-२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से बाहिर की आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
कराविया डाम भीपाल	बहु	-	दलभारव घार्य	लीन होषा क्रय किया गया	N/A			

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मार्गते में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में संगम्भग मूल्य बताया जाए।

*** इस में अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में पिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

Abudef

नाम

बुखरल चौधरी
यु.टी. २७

पद

W. 229 - २ पापन) रु. ७०० -

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती अचला भट्टनागर २. वर्तमान धारित पद कामानी श्रीमती अचला भट्टनागर, मा. १२१, म. ५२।
३. वर्तमान वेतन 6.55.00 Baiz/G अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 July, DA 7860

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यह स्वयं के नाम पर न हो तो वह अन्य किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
२११८१८	२८०००२ लग्न मात्र ९००८५६४ लक्ष. १२०५५६४	२८०००२ ९००८५६४ १२०५५६४	लग्न मात्र ५५८५६४ लक्ष. १२०५५६४	२८०००२ लग्न मात्र ५५८५६४ लक्ष. १२०५५६४	२८०००२ लग्न मात्र ५५८५६४ लक्ष. १२०५५६४	२८०००२ लग्न मात्र ५५८५६४ लक्ष. १२०५५६४	२८०००२ लग्न मात्र ५५८५६४ लक्ष. १२०५५६४	२८०००२ लग्न मात्र ५५८५६४ लक्ष. १२०५५६४
२८१८१८	११	११	११	११	११	११	११	११

* जहाँ लग्न न हो काट दीजिए।

** ऐसे सामग्रे में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सभव न हो, वहाँ वर्तमान विश्वति के सन्दर्भ में सामग्रा मूल्य बतलाया जाए।

*** इस वं अल्पकालीन पट्टे भी सम्पत्ति हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनेकांश है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अधिकारों उसे विरासत में पिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के भौति हैं।

हस्ताक्षर Abhatnagar

नाम श्रीमती अचला भट्टनागर

पद कामानी श्रीमती अचला भट्टनागर

२८१८१८ का प्राप्तापक

द्वारा वृत्ति कड़, मा. श्री. म.
मा. ५. २१५८।

W. 229 - २ पार्ट १ अ. ७८८ -

प्रार्थी

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

गोपनीय
८/१२/२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

नीरज कानून शर्मा

वर्तमान धारित पद

शिक्षक (उःश्री)

3. वर्तमान वेतन ५६१७२ = ००

अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१.०७.२०२०

Base - ४८००/-

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि ख्यात के नाम पर न हो तो अतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि तक पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम : नीरज कानून शर्मा
पद : शिक्षक (उःश्री)

W. 229 - २५५५ (उ) ७०८ -

प्रीमी ८

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **शीला धूंदी**
2. वर्तमान धारित पद : **कालीन**
3. वर्तमान वेतन : **५०६००/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख : **१०.७.२०२०**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये, कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
					५१			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम ब्रेणी, द्वितीय ब्रेणी तथा दूरीय ब्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अनोखित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में पिछी वा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्लॉर दें।

हस्ताक्षर
नाम : *Shashi Pratap*

पद : *Lee*

प्रकाश

"प्रथम नियुक्ति के समय अस्तल सम्पत्ति का विवरण, चर्चे २०

१. वर्तमान आवधि पद (१६१५८८.१३१५८८.१५१५८८)

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अनंग (पूर्ण)

३. वर्तमान वेतन : ३४५५०/- अग्रतो वेतनवृद्धि की तारीख : ०१/०५/२०२०

उपर लिखे उप संभाग, ग्रामपालिका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा स्थान	ग्राम पालिका अन्य भवन	भूमि	अर्थमान मूल्य	संदि स्वयं के भाग पर न हो तो शासकीय कि वह किसके भाग पर पारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से तथा संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया एवं एवं प्रदूषण का विवरण, भट्टा आदि किसी प्रकार से उथा अर्जित को ग्रामीण और जिससे अर्जित को गई हो उसका नाम तथा स्थान	संपत्ति से वार्षिक आय	आमदानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
रीवा (मृद्घ)	पैठन (मृद्घ)	१।	४८८८०/-	११८८० (काटना वाला) (जिल्हाली का नाम) भट्टा, पुरा	पैठन (विद्यालय) ११८८० (दिनी) (उभार्द वाला) (मुख्य पालिका)	N.I.	N.I.	
रीवा (मृद्घ)	मृद्घ विद्यालय रीवा (मृद्घ)	१८८८ १५ X ५० ६०० करिका	१८८८ ५०००००/-	१८८८ मृद्घली (वाला)	१८८८ विद्यालय वी आगू स	N.I.	N.I.	

जहाँ सामग्री को कट दीजिए।

ऐसी स्थानों पर जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव नहीं, वहाँ वर्तमान विवित के सम्बन्ध में लागभाग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अस्तल सही भी सम्भविता है।

टिप्पणी : सार्वजनिक जागीरीय सेवक (आमदानी) विषय, १९५९ के नियम १०(३) के अधीन प्रथम विवेदी विवेदी संघर्ष के प्रत्येक उद्देश्य से वह
अवैधत है कि वह सेवा में प्राकृति नियुक्ति के समय और उसके अन्दर प्रत्येक वार्ष यहाँ माने की अवधि के परचार यह योग्यता भव कर प्रदूषित करे जाए।
अस्तल वह इनके सामाजिक का तथा वर्तमान द्वारा अन्य अस्तल इस विवरण में लिखे या उसके अपने भाग पर यह उसके परिवर्त के विवेदी मूल्य के भाग
या यह किसी अन्य विवित के नाम पर ऐसे यह विवेदी भाग के अस्तल सम्पत्ति के विवरण हैं।

हस्ताक्षर : ३१/५/२०२०

नाम अनंग (पूर्ण)
मृद्घ (मृद्घ) विद्यालय

८०-२२९-२५४५८८ तो ७०८०

प्राचार्य
आदर्श डॉ मार्गविद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (मृद्घ)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

दिनी ८/११२०
८/११२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती उमा नेताम् 2. वर्तमान धारित पद द्यायामाता
3. वर्तमान वेतन ५१२००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१.०७.२०२०.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जहां लगा न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनेकत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे वित्तसंग मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षरनाम श्रीमती उमा नेताम्पद द्यायामाताद्यायामाता

मा. द्वि. मंडल

मा. प्र. ओपाल

W. 229 - २९५८) रु. ७८ -

कार्म

ग्रामीण
8/10/2020

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Preeti Decharya.....

व. D.T.

2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन 44,000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 10.7.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि ख्यय के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से ज्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Plot Village Raisen District - BHOPAL Tahsheel - Murui		1000 ft.	500,000 Lakh	Self				

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पटटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि तक पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विभासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर हों।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Preeti Decharya
V.D.T.

W. 229 - 29/4/2011 अ. 700 -

प्रार्थी

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो S.L.T. P.R.I.YANKA.PARMARFinal E/W
8/10 K/120

2. वर्तमान भारित पद

U.D.T.

3. वर्तमान वेतन 48100 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख JULY 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि ख्यात के नाम पर न हो तो वत्तलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बद्ध संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KOLARROAD, RAI PINK city BHOPAL	DUPLEX Single	-	201aku 131aku	self self	Home Loan Home Loan	-	-
Bhavya city Hosangabad Road Bhopal	-	800 sq ft Plot	5 Lakh	self	Purchase	-	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागूण मूल्य वत्तलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम S.L.T. P.R.I.YANKA.PARMARपद U.D.T.

W. 229 - 2945 (1) रु 700 -

प्रार्थना

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रेणुका पंजर 2. वर्तमान धारित पद विवरकर्ता
3. वर्तमान वेतन 61700 + अगली वेतनवृद्धि की तारीख १ अक्टूबर 2020
अन्य अन्य

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>टोपल</u>	<u>मुट्ठ</u>	<u>NIL</u>	<u>24 एकड़</u>	<u>इ० अरब के पंजर (पुरी)</u>	<u>विवरकर्ता मई 1997</u>	<u>NIL</u>	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्भवित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अश्वा उसे विरासत में मिली या उसके अन्ते नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

रेणुका पंजर21/2021/01

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

आर. श्री लक्ष्मी

2. वर्तमान धारित पद

कामीनी फैब्रिकेट्स

3. वर्तमान वेतन

61,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				८१३			

* जहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगातार मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

आर. श्री लक्ष्मी
कामीनी फैब्रिकेट्स

प्रार्थ

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

मिलियन
8.12.20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **सौरभ कुमार मोढ़** 2. वर्तमान धारित पद **सहायी शिवाजी** विज्ञान
3. वर्तमान वेतन **42700/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01/07/2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम तथा व्यौर संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम भानपुर करोड़	भापाल फ्लैट	—	13.70 लाख	स्वयं	बैंक लोन 8.4 लाख ग्राहक से 3 लाख मात्रा पत्तनी एवं स्वयं की बचत 2.30 लाख	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मानवीय जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लाभग्रन्थ मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पादित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि तक पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अश्वाउ उसे विरासत में यिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक एवं उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर मुमुक्षुनाम **सौरभ कुमार मोढ़**पद **सहायी शिवाजी विज्ञान**

क्रमांक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सतीश कुमार लकड़ा

2. वर्तमान धारित पद

सहायक शिक्षक

3. वर्तमान वेतन Rs. 58,200/- उजगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
① ग्राम-टटकलता पी०ओ०-टुचकेला तहसील-कुम्हड़ी जिला-जशपुर नगर (झ०ग्र०)	कट्टा मकान	-		Rs 16,000/- 15.79 एकड़	(1) श्री रमेश लकड़ा (पिता-पूत्र) (2) श्री अंजीत कुमार लकड़ा (ज्येष्ठ-भाई)	विरासत	Rs 28,000/-	पुरिवार के संयुक्त खाता
② ग्राम- पाटड़ा पी०ओ०- पाटड़ा तहसील- पाटड़ा जिला- झज्जर (झ०ग्र०)				आपासीय झू-खण्ड 1840 वरपीट	रुपये के नाम पर 286100/-	रवीदा	-	

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सांगण मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार यह महीने की अवधि दें: पश्चात् यह घोषणा पर भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उत्तो विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

Salma

नाम

सतीश कुमार लकड़ा

पद

सहायक शिक्षक

मोडल ३० ग्रामपाल, टी०टी०

भगर, भोपाल (मध्यप्र०)

टिक्की 30/01/2020

W. 229 - २ पार्ट १ ऑ ७८ -

क्रांति

मिलनी ८/६/२

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Smt... Mukta Khandgi 2. वर्तमान धारित पद U.D.T.....
3. वर्तमान वेतन ... 40,300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख .. 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्थाय के नाम पर न हो तो वर्तलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से द्वया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<i>Aaditya Nagar Teh - Jaora Dist. - Ratlam</i>	<i>Home</i>	<i>-</i>	<i>1000 sq. feet</i>	<i>2200,000/-</i>	<i>Self</i>	<i>By loan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागभग मूल्य वर्तलाया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन परटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनेकत है कि उन्हें सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि वे पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम Smt. Mukta Khandgi

पद U.D.T.

क्रमांक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अद्यतनी अंगठा 2. वर्तमान धारित पद : J.D.T.

3. वर्तमान वेतन : ₹. ५०००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : ०१.०७.२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरी	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	इदि स्वयं के नाम पर न हो तो वतलाई कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से द्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
रीवा	फैलट कृष्णगंड न्यू वैंड ल. १२३ ०३ ३६०८३ ९३०८१ नोपाल	५५६८५५० ०३ ३६०८३ ९३०८१ नोपाल	५५५६० कैशरिंग	नियमानुसार ८९८	८९८	रीवा विकास परिषद ५६१ १११०५/२०११ १११०५/२०११ रामनी पूर्वोत्तरी पूर्वोत्तरी रीवा विकास परिषद ५६१	NCL NCL	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अनीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि जैसे पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरों दें।

W. 229 - २०५५ (३) ७०० -

कार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ८५८०/१ ६६१५८ 2. वर्तमान धारित पद ८२१८७१/८/

3. वर्तमान वेतन ५८२.००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख १५५१/३/४१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा	ग्राम स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमान भूमि	*वर्तमान भूम्य	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रुख - १०६५ ब्लॉक आ०५१८/	२०८	-	अस्तात	२०४	८३८ से लो+ लो (८०/१५५)	-	-
१३६, ग्रीडू एस्ट ८०२०/१६१ रोड ११. अम्ला के ५१४	२०६	-	२७,०००००/-	१७५	८८ से लो+ लो	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामते में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के समर्थ में संग्रहण मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पालित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि वे पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और

उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

पर या किसी अन्य वक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे में हैं।

हस्ताक्षर

R. Layat

नाम

८५८०/६६१५८

पद

८२१८७१/८

W. 229 - २०५८/८ रु. ७०० -

Final Draft
TOP 1/20

क्रांति

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : ... शोभा ... प्रधा ... 2. वर्तमान धारित पद : ... प्रारंभाता

3. वर्तमान वेतन BASIC PAY : ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख : ... जुलाई - 2020
56500/-

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्थाय के नाम पर न हो तो नातलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
E - 185, Minal Residency, J.K. Road Bhopal	गृह	-	15,000/- (पंद्रह लाख)	मेरे पति खण्ड मेरे नाम ५२ अनुभानित	H.D.F.C. से लोन लेकर सन 2000 में	- NIL - स्वभाव आवास के लिए	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामते ये जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहर महाने की आवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अधिकार उसे विरासत में भिन्नी या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर

.....Shashi
नाम : शोभा प्रधा

पद : प्रारंभाता

W. 229 - २०१५ () रु ७०० -

कार्य

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

ग्रन्थी
८/१०/२०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्रीमती उमोति थापक

२. वर्तमान धारित पद

व्यारोधाता

३. वर्तमान वेतन ५८२०० + भत्ता अगली वेतनवृद्धि की तारीख July २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	गदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमान इये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	शुहू (फ्लैट) एस्प-२, सिमरन आपाहैमेंट, वत्तमा नगर, लालधारी भोपाल	-	अनुमानित राशि २० लाख	इवर्यं इवं पति देवन्द कुमार थापक के संयुक्त नाम	आंन्धा बेंड, टी टी नगर राशवा भोपाल से ट्रैटा लैकर	इवर्यं निवास	-
भोपाल	निमंगाधीन अवन प्लाट ३०X४० फट पलाशा परिसर शुल्काद्वारा भोपाल	-	६० लाख रु.	स्वयं के नाम	पति की सेवा निवासी उपरात प्राप्त राशि एक बैंक आक डिया, शोधा टी टी नगर भोपाल से नटा लैकर	निमंगाधीन	-
होशंगाबाद	शुहू (पुराना संकान) वाई ३०, इलाहा देवन कपाट हा, वा८	-	२० लाख रु. अनुमानि	पति श्री देवन कुमार थापक के नाम	- पति की चेत्रिक संपत्ति के २५ उन्हे प्राप्त	-	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगातार मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक तदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि वे परमानु यह घोषणा भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के फिसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सभस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

टी.पू. १०/१०/२०२०

नाम : श्रीमती उमोति थापक

पद : व्यारोधाता

क्रांति

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१९

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : बुल्लेना भारतीय २. वर्तमान धारित पद

३. वर्तमान वेतन ५५७००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जिया. नु. ४४४२

३० अप्रैल २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरी		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल A-239 शाहपुरा	मृदु		शहात	पुत्र 1. पंकज शर्मा 2. मंजुला शर्मा	विरामत S.B.I GRT लोन लेन्ड	नहीं	—
भोपाल माई २ वेन्यु	मृदु	—	शहात	शहात बुल्लेना भारतीय		नहीं	—

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे समाले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में हालागा मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि तक पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और

उसमें वह उनके स्वाक्षित को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एक्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरी है।

हस्ताक्षर

नाम बुल्लेना भारतीय

रुपय ३२४ रुपयी

क्राम

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

ग्राम ४६१
१०८१२०१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **शिशुपाल** **खिंचवाड़ा** २. वर्तमान धारित पद **उ. क्रौंक**३. वर्तमान वेतन **८५०/-**, **५५०/-**, **३००/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **१. July २०२०**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम तथा व्यौरे संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमानमें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) भौपाल लैंड इक्यू	भवन	—	२१,९०,०००/-	२०८५	बृली	२०८५	—
(2) रलाट ५०*५०	रलाट	—	८,००,०००/-	२०८५	पारिवारिक लैंड इक्यू	२०८५	—
(2) भौपाल रॉप इक्यू	रॉप	—	—	—	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मान्दे में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सामान्य मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरापत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर आ किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **शिशुपाल खिंचवाड़ा**पद **उ. क्रौंक**

कार्म

फॉर्म नं।
8/10/2020

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **खुमारी मन्त्र विभाग**
2. वर्तमान धारित पद **उच्च खुमारी छात्र**
3. वर्तमान वेतन **45,300/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-07-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्रमुख का नाम तथा व्यौरे संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि ख्याय के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जिला - २०२०-२१	८०७२-	—	०३ ल०२७	मेरे लाल का नाम	वचत वा फॉलो लोल	NIC		
	२५X४०							
	102089 fit							

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगातार मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अन्यथा उसे विवासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **मन्त्र खुमारी विभाग**पद **उच्च खुमारी छात्र**

W. 229 - २०२०-२१ रु ७०० -

फार्म

क्रमांक
8
तिथि १२

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (प्रा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो भूमिका भुवनेश्वर २०१९ 2. वर्तमान धारित पद U.P.T.3. वर्तमान वेतन 5100/-अगली वेतनवृद्धि की तारीख जून २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खगोद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<u>भौपाल</u>	<u>E-5181</u> <u>आरेकाल</u> <u>भौपाल</u> <u>(भा.प्र.)</u>				<u>स्व.कालीदास</u> <u>वार्गव</u> <u>कु ससुराप</u>	<u>१५,८८३ के ११८</u>	<u>१५५५ के</u> <u>मिवासठेड़ी</u>	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मायदे में जहाँ मूल्य का सहो-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान सिथिति के सन्तर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पत्ति हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पर भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षर की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विरासत में दिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा प्राप्त समस्त अवल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

भूमिका भुवनेश्वर २०१९नाम उमा भूवनेश्वर
पद उत्तरायणी शिविरा

कार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, द्वारा २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Pushplata Maravi

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान बंतन ... ₹ 1,700... अगली बेतनवृद्धि की तारीख ... ०१.०२.२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	* वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Plot Village-Sukhagpur Tahsheel-Huzur. Distt. - Bhopal	Home	—	1320 sq. ft.	Rs. 20,00000 Lakh	Self	Saving + Loan	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लाग़धग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनेकांश है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि वे पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिका उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य जाकिस के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर Plan
नाम Pushplata Maravi
पद Lecturer

W. 229 - २५५५) रु ८०० -

कार्य

ग्रन्थि ८
१०.१.२०

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अशोक कुमार 2. वर्तमान धारित पद : प्रारब्धाता
 3. वर्तमान वेतन ७०.६००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई २०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो उत्तलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) ए८५-१३ नेहरू नगर मोराल	गृह	-	२५ लाख	श्रीमती डॉ विजया मेहरोनी	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	०। ५८८९	-
2. वरवेडी रुदी नीलवड़	फार्म हाउस निवासियाँ	५५०० वर्गफुट	११		श्री पी. एफ पैनक लक्ष्मण		
3. नीलवड़ (कल्याणवड़)	-	३५०० वर्गफुट क्षमित्रामि	११		रिस्टेंट लेन्डिंग कॉर्पोरेशन		

* जहां लागू न हो काट दोजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटेट भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाय धर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटेट या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम अशोक कुमार
पद प्रारब्धाता

3 अगस्त 2020

W. 229 - २ पार्ट (अ) रु १०० -

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २० २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीभूति ममता दीक्षित** 2. वर्तमान धारित पद **व्याख्यात**3. वर्तमान वेतन **66500/-** अगली वेतनबढ़ि की तारीख **०१/०७/२०.....**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
कटारा हैत्स ग्राम बरई तहसील हुजूर जिला मोपाल	टर्ट मकान नं. १७६ १०० रुक्यर फिट। ठेव्हस लाईफ ग्राम बरई ग्राम व्यवस्था मोपाल	—	—	४० लाख	पति रुप रव्य के नाम से	डिग्रन्ट २०१३ में बुकिंग हैंड लाईफ विलडस से क्रय किया पर्जेशन प्राप्त की।	—	८/।

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यादेश शासकीय सेवक (आचरण) विधम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में भित्ति या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **श्रीभूति ममता दीक्षित**पद **व्याख्यात**

दिनांक - 29-01-2020

GAD Forms (W) 1

(8)

फ्राम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमेश कुमार भट्ट 2. वर्तमान धारित पद विवरण
3. वर्तमान वेतन 69,461/- 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख मार्च 2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से व्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. रमेश भट्ट ८७२ ए४८७३ नेहरू नगर पाटी १०० (मा.प.)	गृह तथा अन्य भवन <u>१५ लाख</u> <u>१५ लाख</u> <u>१५ लाख</u>	भूमि	15 X 30 = 450 कमिली के अकड़े कमिली के अकड़े	16,00,000/- के प्रत्येक ८० लाख के बाले 16,00,000 X 2 = 32,00,000/- (बत्तीक लाख)	सन् २०२५ के तीन लाख प्रत्यालै लाख सभी बाले लाख लाख लाख किया जाए	नहीं	-
2. ग्राम-लासा, पोस्ट-गुतलाल आजाव व तह-शहरपुर जिला-ठिठोड़ी (मा.प.)	-	-	20 लाख (मीरा १००) १६,००,०००/- (मीरा १००)	प्रत्यालै तथा प्रत्यालै प्रत्यालै प्रत्यालै	विवरात से ५,००,०००/- लाख लाख (लाख) ३५,००,०००/- लाख लाख (लाख)	५,००,०००/- लाख ग्राम मे २५ के बाले मेरे मालालाला लाला मालाला लाला	प्रत्यालै सम्पत्ति ग्राम मे २५ के बाले मेरे मालाला लाला मालाला लाला

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे सम्पत्ति में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय त्रीयी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके आद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रदत्त करें और उसमें वह उनके स्वाक्षर को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विवासत में भिली या उसके अन्य नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

W-229-2 पार्ट 1 ऑफ़ -

हस्ताक्षर

नाम रमेश कुमार भट्ट
पद विवरण

नाम रमेश कुमार भट्ट
पद विवरण

क्रमांक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (प्रा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : सीता चौटामा 2. वर्तमान धारित पद : वर्माइटा १०/१२०
3. वर्तमान वेतन : ₹४५२४/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा और	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि खाये के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बता संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरापत, भेट वा अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा और	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. छापुर [मजगढ़] मरुपुर	५०x६० ३,००० वर्ग फैट	लॉट ३००० वर्गफैट	१०,०००/- कम्प्लाई	मुकाफ चाहू कीर्ति	पैसा	—	—	—
2. मालिपुर [इलाहा]	७०x१०० २००० वर्ग फैट	उचामीम मूलान (कम्प्लाई)	३०,०००/- कम्प्लाई	—॥ —	—॥ —	—	—	—
3. —॥ —	३०वर्गिका पूर्ण मूल्य	शुभा	१०,००० (कम्प्लाई)	—॥ —	—॥ —	५,०००/- (कम्प्लाई वार्षिक ३०म)	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पत्ति हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि वे पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रस्तुत करें और

उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरापत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बड़ीरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

सीता चौटामा

वर्माइटा

२५/५/२०२०

गोपनीय ४५।
८

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमति शुभा भट्टा०१२ 2. वर्तमान धारित पद मृगीक्षका० (रीवी प. कंज)
3. वर्तमान वेतन ५१३०७ +..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख १५ अगस्त २०२१ गोपाल

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बहलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
गोपाल	मेहोनि ३१। नि ली-मैत्री सर्विवर्म कोलार०१५ गोपाल			३० लाख	-	लैंके लान ६८।	नि	

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियकित के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रकुपत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षित की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधि उसे विरासत में भिन्नी या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एटे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम श्रीमति शुभा भट्टा०१२पद मृगीक्षका० (रीवी प. कंज)

80 २१-०२-२०२०

कार्ड

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... YOGESH MISHRA

U.D.T.

Form 8
T.O.L.R.D

आदर्श

R.BPL

2. वर्तमान धारित पद ... U.D.T.
3. वर्तमान बेतन . 9300 + 3200 अगली बेतनवृद्धि की तारीख ... July 20....
Bal. 40,300/-

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि इसमें के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका आसकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SHAHDOL Windsor Palm City Kolar Road Bhopal	House House (Single)	Plot -	30 lakh 20 lakh	self self	Ancestral Property Home Loan	- -	- -

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मायदे में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्र की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

YOGESH MISHRA

U.D.T.

(1)

फ्राम

प्रथम नियुक्ति के समय अद्वैत सम्पत्ति का विवरण, दर्श १०

१. आधिकारी/कर्मचारी का (प्रति) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है ।

सीताराम उड़ीक

२. वर्तमान धारा पट

३. वर्तमान वेतन ३५१००/-

वर्गीय वेतनवृद्धि की तारीख

३१/०७/२०

शिक्षक

उपजिले, रुप संभाग, नगरका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा स्थीरे		प्रदि स्वयं के नाम पर न हो दो बालाद्ये कि वह किसके नाम पर पारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से स्वा संबंध है।	उसे किस प्रकार अंजित किया गया		संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम- कौरजा, पौ. मंजगाव तह. बैठर ज़िला- झाण्डाट	कच्चा मकान	३ लक्ख में	१५ लाख	१५ लाख (प्रतार्जी)	पैदुक	५० हजार	

जहाँ लाख न हो काट दोइए।

प्रथम धारा पट में जहाँ मूल्य का सात-सठी निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में हांगाम मूल्य नदाराय जाए।
इसमें अतिकालीन घटने भी सम्भवता है।टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (झाण्डा) नियम १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्राप्त दोषों किसी विशेष तथा सार्वीय सेवों प्रेत के प्रत्येक छद्दम से यह
अंजित है कि वह नगर में बहली नियुक्ति के समय और उसके बाहर इत्येक वाइ. महान की अदाये के वरचाव पर गोपया भए भए कर रखना की ओर
वर्तमान वह जनक व्यापार के तथा व्यापक ग्राम अंजित अपना दर विराम में खिलौं पा उसके लिये नाम पर यह उसमें मालार के चिह्नों वालस के नाम
पर भी किसी अन्य अंजित के नाम पर नहीं भए उसके द्वारा धूरिया तपत अंजित सम्पत्ति के अधीन है।

हस्ताक्षर

नम.

मर.

सीताराम उड़ीक
शिक्षक

प्राचीर्य

आदर्श १० मार्च १९६८
त्रिविल लाइन्स, रीवा (म०००)

०२२९-२२५५००५० अ १०८-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गुड़या सिंह चौधरी 2. वर्तमान धारित पद प्रारूपाल

3. वर्तमान वेतन 6748/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 July 2020

जीतन 8 मार्च 20

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बातलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका ज्ञासकीय कर्मचारी से बया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1) ग्राम खजूरीउला मुम्पालपट्टने 221/1/2/2/2/2 1/2/29 संक्ष 3/2/2	मुम्पालपट्टने	रु 100/-	रु 4/-	70,000/-	एवयं 39 वर्ष नाम पर	एवयं 39 वर्ष HDFC UCO Bank क्षु 100/- रु 10/- PF संयुक्त रु 25/- क्षु 10/-	—	—
(2) 290/1/290/1/1/ 290/1/2/290/1/ 3/290/25-31/21 ग्राम खजूरी	मुम्पालपट्टने	—	—	31,000/-	पत्र क भाष्य संयुक्त नाम	Allahabad Bank क्षु 100/- रु 10/- क्षु 4/-	—	—
(3) ग्राम खजूरी	मुम्पालपट्टने	रु 100/-	—	50,000/-	पत्र क	पत्र	350/-	—

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इस में अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवास) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिकारित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारित अधिकारी उसे विरासत में विली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम गर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

वर्द

गुड़या सिंह चौधरी
प्रारूपाल

W. 229 - २५५८ रु ७०० -

फॉर्म नं ६१

३४४०

प्रार्थ

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो झीपती चंचल जैन(नारद) 2. वर्तमान भारित पद प्राप्तिका
3. वर्तमान वेतन 5,8200...... अगली वेतनवृद्धि की तारीख १०.०७.२०२०.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हुपी होम लाला लाज पतराय सोरतायी ओपाल	पले८	-	२५८५ लाला प्रदूषित गांगा	बैठ लो। एवं घोष दि लार्ट ए	-	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मायदे में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यादेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक दसव्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में पिली या उसके अपने नाम घर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर ... Dareelनाम झीपती चंचल जैन(नारद)
पद प्राप्तिका

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विदरण, वर्ष २०

१. अधिकारी का नाम तथा उस सेवा वा नाम, जिसमें वह हो

जो ३५८८ वान

२.

वर्तमान भारित पद ५६६८८१८८८८३०/११०
अगली वेतनवृद्धि की तारीख ६.२.२०२०

३. वर्तमान वेतन ४३५००

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप सं भाग, तालुका तथा ग्राम का नं. जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमान द्वाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया **खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट वा अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
					Nill.			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाड़ा मूल्य वर्तलाया जाए।

*** इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में पिलौ या उसके अपने नव पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हों।

हस्ताक्षर

नाम जो ३५८८ वान

पद ५६६८८१८८८८३०/११०

W. 229 - २ (पाँच) रु ७०/-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जीठपीर द्वारा

2. वर्तमान धारित पद सहाय्य सिद्धांज

3. वर्तमान वेतन ५८२००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्त का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्याप्री	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिवृत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
ग्राम+पोऱ लिलावाडी नह गोडवारा जिला नरसिंहराज	शृंग	लगानी २०००लाख	५९००००/-	पिता-भाई द्विजा-जी	पिता	नहीं	नहीं	
भोगल (लिला) विनार डीम सिंह घोड़गांव रोड मेघाल (ब्रह्म)	फलट	लगानी २५००लाख	२५००००/-	विवाह खर्च	विवाह	नहीं	नहीं	
		फलट	१४००लाख	३००००००/-	HDFC बैंक लोन स्वं क्षेत्र से	नहीं	नहीं	

जहां लाग न हो काट दीजिए।

ऐसे समझे ये जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में साधारण मूल्य बतलाया जाए।

इसी अस्तिकालीन परेट भी सम्पत्ति है।

टिप्पणी : मध्यसंघीय सासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनेकित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद इसके बाद मात्राने जी अवधि के परचात् यह धोषणा-भर भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षर को तथा उसके द्वारा अंजित अध्यया उसे विवाह में निलंबन करने जान पर ये उसके परिवार के किसी बादस्य के नाम पर या किसी अन्य जाकित के नाम भर पट्टे या बंधक भर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के भौंरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम जीठपीर द्वारा

पद सहाय्य सिद्धांज

W-229-(पाँच) डो न०८-

प्रद्युम्न
आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - भौज लखनीला कुरैशी 2. वर्तमान धारित पद सहाय्य शिस्त

3. वर्तमान वेतन अगती वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं ने ग्राम पर न हो तो वहलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्तव्यार्थी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रीवा	भौज	—	16लाख	16 लाख नम्बर प्ला-पुरा (३भाई)	पुरा	NIL	—

जहाँ लागू न हो काट दीविल।

** ऐसे सामग्रे में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सामग्रे मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्कालीन पट्टे भी सम्पन्नित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवाज) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्पण है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चाहे महाने की अवधि के परामर्श यह पौष्टि-प्रश्न भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तया उसके प्राप्त अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तृत वा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एक या बहुत या उसके द्वारा प्राप्त अवल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर

नम्

रद

मेरा नाम - श्री लखनीला कुरैशी
मेरा नाम - श्री लखनीला कुरैशी

W. 229 - (पाँच) रु. ५० -

प्रधान

आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

Final
P.T.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **आरू. के. श्रीबाबूनव्हार्टव** 2. वर्तमान धारित पद **उप प्राचार्य**
3. वर्तमान वेतन ... 66.50/- 3. अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 01.07.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम तथा व्यौरे संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से द्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. भोपाल	प्लाट	-		25 लाख क.	रुपय	कृष्ण निया	निरुद्ध	
2. भोपाल	प्लाट	-		10 लाख क.	रुपय	कृष्ण निया	निरुद्ध	
3. दतिया	प्लाट	-		04 लाख क.	रुपय	कृष्ण निया	निरुद्ध	
4. दतिया	मकान	-		65 लाख क.	श्रीमती डॉ भूमिका श्रीबाबूनव्हार्टव मालाजी	पिता द्वारा कृप किया गया	26 हजार र. भा.	
5. दतिया		-	कृष्ण भूमि	34 लाख क.	रुपय	पिता द्वारा कृप किया गया	65 हजार र. भा.	
6. दतिया	प्लाट	-		09 लाख क.	(-८ लाख)	कृष्ण निया	निरुद्ध	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे सामग्रे में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रत्युत्तर करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिलती या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर फ़टें या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **आरू. के. श्रीबाबूनव्हार्टव**
पद **उप प्राचार्य**

W. 229 - २५५१) रु. ७८ -

कार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती विमला मिश्र** 2. वर्तमान धारित पद **प्रधानाध्यापिका**3. वर्तमान वेतन **6,1700**..... अगली बेतनवृद्धि की तारीख **July 2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो जलाई कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, खेट वा अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
मानना ॥ इड्स प्रधानाध्यापिका भोपाल	भवन	रुपय	35,00000	-	LIC हा अलिंग फाइनेंस लिंग से बोन एवं स्वयं के बचत से	NIL	-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यक्लीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व वाले तथा उसके द्वारा अंजित अद्वा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **श्रीमती विमला मिश्र**पद **प्रधानाध्यापिका**

फ्राम

नम्बर

जिला दूरी

प्रधान नियुक्ति के समय अवधि सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो। निजय कुमार शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन ५२५००/- अगस्ती वेतनवृद्धि की तारीख ०१/०७/२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा घौरे	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्ण के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
महावड़िया ग्राम कोलार (गोपाल)	2 bhk प्रतार (under construction)	— 19,50,000/- (ल. १९५०००)	वर्ग के ग्राम पर	कट्टा बैंक आए कुमार वल्लभ गवाल गोपाल (होमलोन परा)	NIL	NIL	

जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

ऐसे ग्रामों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधि के सदर्भ में हासिल गृह्य बतलाया जाए।

इसमें अस्तकालीन प्रटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : पर्याप्त शासकीय सेवक (आचरण) विधि, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, हिंदी श्रेणी तथा दुक्तीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक वरदस्य से यह अनिवार्य है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार महीने जौ अलाइ दें परचात् यह प्रथम-पड़ भर कर प्रशुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षर करे तथा उसके द्वारा अंजित अप्यां उस विधासा में निलंघे या उसके अन्दे नाम पर ये उसके परिवार के किसी वादस्य के नाम पर कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बैंकों पर उसके द्वारा प्राप्ति समस्त अवल सम्पत्ति के भौति हैं।

हस्ताक्षर

नम् विजय कुमार शर्मा

ठार २०२०/११/

मांडल-कुल वीरा (क. १.)

W. 229 - २०२०/११/

प्राचार्य

आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

प्रार्थना

*प्रथम नियुक्ति के समय अवधि सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - राजेन्द्र सिंह2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता
3. वर्तमान वेतन 54100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरी	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बहलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	*स्थेद, पट्टा, बैधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
(1) रीवा, तहसील छुजर, वर्ड-१६ आजादनगर रीवा	गृह	105259 feet	28,00,000	पिता के नाम पर पिता-पुत्र	पैतृक विरासत	N.L.			
(11) रीवा, तहसील छुजर, वर्ड-१५ तहसील छुजर, रीवा (अ.पु.)	प्लाट	2025 sq. feet	12,00,000	पत्नी के नाम पर पति-पत्नी	बचत एवं बैठक लोन्ही डारा, दंगनिंदा २०१५	N.L.			
(11) गढ़रिया, रीवा छुजर रीवा (अ.पु.)	प्लाट	2268 sq. feet	10,00,000	स्वयं के नाम पर	बचत एवं बैठक लोन्ही	N.L.			
(17) जीला-इलायाछाद ताहा वारा राष्ट्रगढ़ इलायाछाद (अ.पु.)	10 एकड़	कुप्रियमि	80,00,000	स्वयं के नाम पर	पैतृक				

जहाँ लागू न हो काट दीर्घ।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधि के सन्दर्भ में समाधान मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माल्यदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी देव के प्रत्येक सदस्य से यह अरेकिय है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचात् यह शोधया-पत्र भर कर प्राप्त करें और उसमें वह उनके स्वाक्षर को तथा उसके प्राप्त अर्जित अधिकारी उसे विरासत में मिलवें या उसके अन्य पर यह उनके परिवार के किसी गदर्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या भेटक पर उसके द्वारा प्राप्त उसके अवल समस्त अवल सम्पत्ति के व्यौरी है।

हस्ताक्षर

नाम

उद्देश्य

Rajendra Singh
Leef

W-229-2 पार्ट 1 तो 7 तक -



प्राचार्य
आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (न०प्र०)

कार्य

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्यामाचरण उपर्युक्ती लोधी**. 2. वर्तमान धारित पद **व्याख्याता**
3. वर्तमान वेतन **54100/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई २०२०**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	तपति का नाम तथा व्यौरा	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	मंद स्वयं के नाम पर न हो तो नवलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आव	अधिकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. ग्राम/पौरा रोशन तल्लु जिला बालाघाट (कृष्ण)	ग्रह	एड	1247	1,00000	रुपये १०००००/-	पैट्रुक	5000/-	—
2. ग्राम/पौरा अंवलाशरी निगणीशी तल्लु जिला बालाघाट (कृष्ण)	निगणीशी	3380	वर्ग फीट	25,00000	रुपये २५०००००/-	ठोक लोन (LIC)	—	—

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे घासी में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विधिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टें भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधान व्रेणी, द्वितीय व्रेणी तथा तृतीय व्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनेहित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महाने की अवधि के परचार् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रदान करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अप्यथा उस विवाह में निलंघे या उसके आगे नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एटें या बैंधक पर उसके द्वारा प्राप्ति तपस्त्र अपल सम्पत्ति के रखोरे हैं।

हसाकर *अपनी*नम **श्यामाचरण उपर्युक्ती लोधी**उद **मात्रामात्रा**

प्राचार्य
आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स सेवा (म०प्र०)

W-229-२ पापन डॉ न०८० -

प्रार्थम

*प्रथम नियुक्ति के समय अवधि सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजा मंडिया अभियाप्ति

2. वर्तमान पारित पद व्याल्याना

3. वर्तमान चेतन 62.700/- अगली चेतनवृद्धि की तारीख ३१.८.२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरी	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के भाग पर न हो तो बहलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्तव्यार्थ से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आव	अधियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. ग्राम पो. - सिमरा नट्टा झज्जूरु ज़िला - रीछमाड़ (अध.)	ग्राम पो. ग्रामीण	१५००५६० = ६०००/- बड़ीफट	१,८०५००/-	पिंड जीके नाम पर	विराकासत मे	-NIL	-	-
2. हेरी रोड इन्डिया ज़िला - इन्डिया (अध.)	हेरी रोड	२५००१००	५०८०० २५०००रु फट	२०,०००००/-	रुद्धि के नाम पर	बैंक के लोन छेव बैंक द्वारा बचतकर्के	-NIL	-
3. सट्टई रोड इन्डिया ज़िला - इन्डिया (अध.)	सट्टई रोड	८०११२	५०८०० २५०००रु फट	१०,०००००/-	रुद्धि	रुद्धिकर	-NIL	-

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे स्थानों में जहाँ मूल्य का नहीं-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहाँ वर्तमान विधिति के सन्दर्भ में साधारण गृह्य बतलाया जाए।

*** इसमें अस्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यस्तरी शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम विधि, द्वितीय विधि तथा तृतीय विधि सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अंजित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहर महीने की अवधि के परचाल यह दोषण पड़ भए कर गए हैं और उसमें वह उन्हें स्वाक्षर को तया दसहो द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिलवे या उसके अपने नाम पर या उसके प्रतिवार के किसी गदस्य के नाम पर या किसी अन्य लाभित के नाम पर खट्टे या वर्षाकालीन पर उसके द्वारा प्रारित समस्त अवक्ता साप्तरि के अधीन हैं।

हस्ताक्षर

Rajendra

20-01-2020

राजा मंडिया अभियाप्ति

पद

व्याल्याना

W. 229 - २ पार्ट (१) रु. ८००/-

प्राप्तवार्ष
आदर्श उ० पा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

फ्रार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अखल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **यशपाल सिंह चौहान** 2. वर्तमान धारित पद **प्राचार्य**
3. वर्तमान वेतन **66,500** 4. वर्तमान वेतनवृद्धि की तारीख **01/07/2020**

जीवन ८

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा घौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बहलाई कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्तव्यार्थी से क्या संबंध है	उसे फ्रार्म प्रकार अंजित किया गया **खेत, पट्टा, बधक, विरासत, भैंग वा अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा घौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1) वर्तमान - खण्ड १ ग्राम-जन्नाबड़ी अजनन विहार कालोनी	आवासीय भूमि 770 SqF	-	-	11 लाख भृगुभृग (प्राप्ति ज्ञात)	द्विभागित वैदान, प्रतिनिकोनाम पर कालोनी १२५	पैकड़ से आवा १२५ त्रिंग द्वारा वैदा 2005-2006 ते कालोनी १२५ शेष कुपार २२२०० से कृषि क्षेत्र ३०० प्रत्य. आई.सी. हृषि द्विभाग एक ज्ञानावास सेठा द्वितीय कालोनी १२५ प्रधम गांव का क्षेत्र किया ३१२५	-	-
(2) इन्डोर-खोला ग्राम- दालोनी	आवासीय भूमि 750 SqF	-	-	15 लाख भृगुभृग (प्राप्ति ज्ञात)	→ →	→ →	→ →	→ →

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

एसे मापदंड में जहाँ मूल्य का भड़ी-भड़ी निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अस्पताल वट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : प्रधार्मिक शासकीय सेवक (आदर्शण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अपेक्षित है। परवात यह सीधा पर भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षर को तथा उसके द्वारा अंजित अन्य उसे विरासत में निलंबन की उसके बाने नाम पर ये उनके परिवार के किसी गरम्य के नाम पर भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं या अपेक्षा पर उसके द्वारा प्रत्युत समस्त अवृत्त सम्पत्ति के घौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **प्राचार्य सिंह चौहान**
पद **प्राचार्य** प्राचार्य
आदर्श उ. म. विद्यालय
उनाद विहिनी लैन लिफ्ट प्राचार्य

W-229-2 पार्पन) अं १०८-

प्राचार्य
आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

प्राप्ति

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०५७-२८

1. अधिकारी/कमचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - उमेराराव-चोट्टरी*प्राप्ति*2. दर्तमान भारत पर व्यासन्धाता
3. दर्तमान वेतन 64600/- अगस्ती वेतनवृद्धि की तारीख

उत्तर जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्ति का नाम तथा व्यारी संपत्ति स्थित हो।	तंपति का नाम तथा व्यारी	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*दर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वहांसाइरे कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से स्वयं संलेख है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया ***खेद, पट्टा, बंधक, विरासत, पैट या अन्य किसी प्रकार से तथा दर्तने की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यारी	संपत्ति से वार्तिक आव	अंगदित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<u>जाम-देहोगाव</u> <u>पर्स्ट-स्माइर</u> <u>ताण-जांजी</u> <u>जिला-व्यासन्धाता</u> <u>म०प्र०</u>	चृष्ट	-	10,00000	पिला-पुत्र	पैतृक (विरासत)	निरंक		
<u>सीमुण्डुनगरी</u> <u>पंवार-बंगलुरुवन</u> <u>के पास, काठिन०३३</u> <u>आवस्त्री, जालाधार</u> <u>म०प्र०</u>	चृष्ट (निमिणिलीन)	05करूड़	825,000	पिला-पुत्र	पैतृक (विरासत)	90,000		

जहां ताप्ति न हो काट दीजिए।

** ऐसे प्रपत्ति परे जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना स्वयं न हो, वहां दर्तमान विधिति के सन्दर्भ में लगभग गुण्य वहांसाइरा जाए।
*** इसमें अलानकालीन पर्स्ट भी सम्पत्ति है।दस्तावेज़ *U.P. Govt.*टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (जालाधार) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम देवी, द्वितीय अंगी तथा तृतीय लैंगी सेवा के प्रत्येक उदास्य से यह
अंजित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाइ दूहोने की अद्यतिं पर विरासत पर योग्य पैट भर का प्रत्युत करे और
उसमें वह उच्चतम् स्तरान्तर की तथा उसके द्वारा अंजित अप्यथा उत्ते विरासत में मिले जा उसके अंगी ताप्ति पर यह उसके विवाह के किसी नादस्य के नाम
पर भी किसी अन्य लालिक के नाम भर पहुँचे या अंगी पर उसके द्वारा प्रत्येक अचल समस्त अचल सम्पत्ति के अंगी हैं।नाम *उमेराराव-चोट्टरी*उदास्य *व्यासन्धाता*

W. 229 - २ व्यापक ओ २५० -

प्राचीनायक
आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के सम्बद्ध अवधल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२० -

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **रुपूरुष कैटॉरी इनीवाल** 2. वर्तमान धारित पद **प्राचार्य**
3. वर्तमान वेतन **71600/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01.07.2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो उसलाई कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
INDORE	HOME	-Nil-	25-lakh	Self	Home loan 18-Eighteen lakh Central Bank of India + 7-lakh- 81 Dr. S.C. Reniwal Fatur Retirement		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाए गए मूल्य वर्तलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के ग्रन्त्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद ग्रन्त्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रतुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विवास्त में मिलती या उसके अन्ते नाम घर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य लाभित के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम **रुपूरुष कैटॉरी इनीवाल**
पद **प्राचार्य** S.K. Reniwal
Principal
Model Hr. Sec. School
Jaora, Distt. Ratlam

W. 229 - २ (पाँच) रुपूरुष - ७०० -

क्रम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२७

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पुनम-यन्द पाइभार अद्वृत 2. वर्तमान धारित पद उम्मालि जावरा
3. वर्तमान वेतन 66.500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2020

क्रमांक

आरबाहा

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बललाङ्गो कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जावरा जिला - रत्नामुख	गृह	-	—	1500000= (लगभग)	स्वयं के नाम पर है	रवरीदल्लु बैंगु ल रहण भेट अद्वृत इसीद बड़ावदा 13/2/03	NIZ	—
तहा - जावरा जिला - रत्नामुख	गृह	कृषिक्षेत्रि ०७ बीघा	(लगभग)	1700000= ५० वर्ग एकड़िया ०७ बीघा के सभी लदाओं के नाम पर हैं	विरासत में प्राची धरुवावदा	30000/-	—	—
जावरा - धरुवावदा	—	कृषिक्षेत्रि ०५ बीघा	(लगभग)	१००००००= पुर्ण अश्वीष पाइभार के नाम पर	रवरीदल्लु पञ्चामाल (धरुवावदा) २५/२/०२	30000/-	—	—
तहा जावरा जिला - रत्नामुख	आवासीय	८ लाख	८ लाख	६३००००=०	स्वयं के नाम पर है	रवरीदल्लु पुदा संदे (धरुवावदा) ०२/०५/१४	—	—
जावरा - धरुवावदा	आवासीय	८ लाख	८ लाख	३२x५२	—	—	—	—

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामूले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यसंदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रतुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षरता को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विरासत में फिली या उसके अपने नाम द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरों दें।

हस्ताक्षर

P. ८५/८

नाम एनम-यन्द पाइभार
पद आरबाहा

W. 229 - २५५१) रु. ७५० -

प्रभागी द्वारा
४

CAD Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के सम्बन्ध अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जीमती निम्ला बेराडी 2. वर्तमान धारित पद व्यारव्याता, मौड़ल स्कूल जावरा
3. वर्तमान वेतन 6.6500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यहि स्वयं के नाम पर न हो तो जलस्नाइये कि वह किसके नाम पर शारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. सोनरिया कालोनी बन्नाखेड़ा जावरा रत्लाम, उज्जैन	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	सात लाख साठ छार लंगभग	स्वयं	स्वयं के ढारा यु.को. बैक जावरा से लोन ढारा	निरंक
2. ऊनिया नगर कुम्हारी, जावरा रत्लाम, उज्जैन	—	लाट	लाट लाख साठ छार लंगभग	लाट लाख साठ छार लंगभग	स्वयं	जीमती सुमिला पति राजेन्द्र कुमार से दिनांक ०३-११-१५ को कुम्ह किया गया। इवयं के ढारा	निरंक

* जहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम वर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर २८.०१.२०

नाम जीमती निम्ला बेराडी

पद व्यारव्याता, मौड़ल स्कूल

जावरा

फार्म

प्रथम नियुक्ति के संबद्ध अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती अलंका पटा (खड़ा) ... 2. वर्तमान धारित पद व्यवसायी ...
माला २५८ ले जावरा
3. वर्तमान वेतन 64600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यहि स्वयं के नाम पर न हो तो अतस्माइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया **खोद, पटा, बंधक, विरासत, खेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
१. वट-जावरा (माला-२५८)	-	२५८	-	वार्षिक ३००००	२५८	लोट की रजिस्ट्री माला जावरा १९९९	-	-
२. श्रीम पंचायत बोर्ड, वट-जावरा	-	-	क्षेत्रिक	तीन लाख ३००००	२५८	०३-०१-१२ अभियुक्ति काला (वट-जावरा)	-	-
३. समर पाकी निपानिया २४ इन्हाँ	-	२४	लोट	वार्षिक ३००००	२५८	LICHFL काला ४-४३ माला लोट एवं रुक्य २०-०७-१२ कुमी तारंगवी २५८	३६०००/-	२१-०६-१२ का सम्पादन १९९२ जावरा माला बोर्ड वट-जावरा
४. श्रीम पंचायत बोर्ड वट-जावरा	-	-	क्षेत्रिक	पंचायत ३००००	२५८	वार्षिक १५०००	१५०००/-	१९९२ २०१५ का १९९५ वट-जावरा
५. -	-	-	क्षेत्रिक	२५८ लाख २५८ लाख ३०००००	२५८	२५८ विक्रय की तारीख २५८ ०७-११-१२ वापुकड़ी २५८ विक्रय १४-०१-१६ अप्रैल २०१६ ३०००००	५०००/-	२५८ २०१५ वट-जावरा

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाए या मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन पटटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि तक प्रशान्त या यह धोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अंजित अध्यक्ष उत्तर विरासत में मिली या उसके अपने नाम द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

२०२०-२१-२१
28-01-20नाम श्रीमती अलंका पटा (खड़ा)

पद

०२१२०२१८१

प्राप्ति

CAD Forms (W) 1

फ्राम

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो २. वर्तमान धारित पद

३. वर्तमान वेतन ५२५००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१-०७-२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो ललताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से ज्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
१. घाम - जन्मारवडा तह - खावरा जिला - एतला	मृदम्भा - ८००/- ८२८ वर्ग फैट	७००/- ८२८ वर्ग फैट	१३२५००/-	८२८ वर्ग फैट	रवरीदा, दि. १७/०२ पिक्किला - दुर्गा वाह पति मानिलाल	Nic	—	
२. माला सरानी प.ह० न० ६८ रानी भ. दत्तरपुर तह - दत्तरपुर जिला - दत्तरपुर (भेटु)	लाट	२०००/- ५७ वर्ग फैट	२०४५००/-	८२८ वर्ग फैट	रवरीदा दि. ०९/०५ पिक्किला - पुष्प दुवि	Nic	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सहो-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के समर्थ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में पिलाने वा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Mano

प्राप्ति
प्राप्ति
प्राप्ति

W. 229 - २ पाँच रुपये ७०० -

प्रार्थ

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मनुदेव लिंगंडा/वा. 2. वर्तमान धारित पद पी.टी.उर्फ़ 3. वर्तमान वेतन 63600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख Jan. 2020.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरी	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो जलसाइट कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया **खोद, पटाक, बधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
इन्हुडिया नाथी तदः पिपलादा जिला रत्नगढ़	—	कृषि भूमि 12.88	रास्ता नदी	झंकां के गांव पर	जिला रें विरासत (मैट्रिक)	अनुशासित 6 लाख		
ग्राम लोरदा तदः छावर	—	कृषि भूमि ०.३० एकड़	रास्ता नदी	— do —	खोद २९/५/१९९५ श्री गणेश दुर्गा देवी ६०,०००/रुपये + वर्षाना वर्षाना	Nil		
ग्राम लंगा रेडा तदः छावर	—	कृषि भूमि ०.५५ एकड़	रास्ता नदी	श्री गणेश रामलक्ष्मी पटाक गांव (पली)	खोद २४/१३/०४ श्री विजय राम पटाक देवी ३,९३,०००/२००५ वर्षाना	Nil		
ग्राम लोरदा पल्लावा कर्तलोनी	८८८८ २५ x ५५	—	रास्ता नदी	झंकां के गांव पर	खोद २६/०१/०५ श्री नाली देवी १,५२,००० में झंकां की वर्षाना	Nil		
उराजीव कर्तलोनी दा.वर	मेल्का २०९४ एकड़	—	रास्ता नदी	— do —	खोद १५/१२/२०१० में श्री लक्ष्मी पूजा, रघुराम, वृंदावनी वर्षाना	Nil		
* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।								
** ऐसे माफले वें जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाए मूल्य बतलाया जाए।								
*** इसमें अत्यकालीन पटरे भी सम्मिलित हैं।								
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहर महीने की अवधि वे पश्चात् यह धोबणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपेक्षा नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या घंघक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।								
स्थानक्रम अनुदान दर्तक दर्तक दर्तक दर्तक दर्तक दर्तक दर्तक दर्तक दर्तक								
नाम मनुदेव लिंगंडा/वा. वर्ष २०								
पद पी.टी.उर्फ़								

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के सदृश अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

29/08/2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **मनोहर सिसोदिया** 2. वर्तमान धारित पद **उ.ओ. शिक्षक**
3. वर्तमान वेतन **48100/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01.7.2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा और		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से ज्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जावरा ज़िला रत्नाला	15x45 मकान	—	ज्ञान नदी	स्वयं	2003 में खुला लैट	—	—
जावरा ज़िला - रत्नाला	—	10x45 प्लॉट	ज्ञान नदी	स्वयं	दित. 2013 में खरीदा	—	—
रवरगांव (प. निवाड़)	—	पहाड़ गूँगी	ज्ञान नदी	स्वयं	दित. 2013 में खरीदा	—	—
सोगांव ज़िला रवरगांव	—	पहाड़ गूँगी	ज्ञान नदी	स्वयं	2014 में खरीदा	—	—

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे सामग्रे में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, हिंदौल श्रेणी तथा दूसी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि तक परवान् या घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अधिकार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के लिए हैं।

हस्ताक्षर

नाम **मनोहर सिसोदिया** 28.8.2020पद **उ.ओ. शिक्षक**

प्राप्ति

*प्रथम नियुक्ति के सम्बद्ध अल्पसंख्यक सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्री मनो हेमती राणी 2. वर्तमान धारित पद : ३. श्रेणी (१) इकाई
 3. वर्तमान वेतन ५५००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो जलसाइट कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
२७ आदित्यनगर जाहर	मान	लॉट १५x५०	लॉट नं४	मान रु५० रु५५२२९५ लॉट २९८१	—	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम वर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्री मनो हेमती राणी
उ. श्रेणी (१) लॉट

क्राम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **डॉगर सिंह खन्ना** 2. वर्तमान धारित पद **उच्चेश्वि**3. वर्तमान वेतन **41500/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01/07/2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जिला - रतलाम गृह तट - जाकरा 20x35 घास - छन्नाखेड़ा	—	ज्ञात नहीं	स्वयं	खरीदा ग्रन्थांद्वारा	—	—	—	—

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में समान मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनेकांश है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधीन हो। परन्तु यह धोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में खिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **डॉगर सिंह खन्ना**
पद **उच्चेश्वि**

फ़ार्म

*प्रथम नियुक्ति के सम्बन्ध सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

महेश कुमार नौटिया

2. वर्तमान धारित पद

स्पाशी

3. वर्तमान वेतन 48100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१.०८.२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो ललताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका ज्ञानकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जावरा जिला-रतलाम	गृह	-		200,000/- अनुमानित	स्वयं	बैंक ऋणद्वारा 2006	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के समर्थ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम व्यौरी, हिंदूओं तथा तुराय व्यौरी सेवा के प्रथम सदस्य से यह अरोक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रथेक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विरासत में छिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम महेश कुमार नौटिया
पद स्पाशी

ज्ञाम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ज०३१५१६ मिशन चन्डालू 2. वर्तमान धारित पद मि०३२३3. वर्तमान वेतन ३५१०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१-०७-२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	* वर्तमान मूल्य	यदि इसमें के नाम पर न हो तो बदलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से ज्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	** खोद, पटटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
<u>मिल १०६७५ २५६८००० २८८१५ २५१५-०१-१५२१५</u>	<u>NIL</u>	<u>१५ वर्ष</u>	<u>ल०१५०</u>	<u>२६८०४</u>	<u>८८५</u>	<u>५ शतांश मिलि</u>	<u>ल०१५०</u>	<u>०१-७८८०४</u>	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगातार मूल्य बदलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) विधम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रदत्त करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अन्य नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक से पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम ज०३१५१६ मिशन चन्डालू
पद मि०३२३

W-229-२८५१ रु. ७०० -